

अति-आवश्यक / महत्वपूर्ण
विधानसभा मामला

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
एल.एम. बंध कार्यालय परिसर, शास्त्री नगर, दिल्ली-110031
दूरभाष संख्या: 22424989

सं. सी.ई.एफ/एस.एस.डब्ल्यू/वि.स.सत्र/2019/8235-38

दिनांक 28-11-19

सेवा में

उप-सचिव (प्रश्न शाखा)
दिल्ली विधान सभा सचिवालय
पुराना सचिवालय, दिल्ली-54

विषय:-विधान सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 50 दिनांक 02-12-2019 के संबध मे।

महोदय,

आपके पत्र संख्या एफ.11(बी-1)VI/2015-20/वि.स.स./प्रश्न शाखा/ 2233 दिनांक 22-11-2019, जो कि सिंचाई एवं बाढ़. नियंत्रण मंत्री के सचिव को संबोधित है, के संदर्भ में उपरोक्त प्रश्न के उत्तर की 100 प्रतियां सूचनार्थ संलग्न है।

यह उत्तर सक्षम अधिकारी से मिली स्वीकृति अनुसार भेजा जाता है।

भवदीय,

संलग्न:- उपरोक्त।

शिव कुमार

(शिव कुमार)

कार्य सर्वेक्षक / नोडल अधिकारी
दिनांक

सं. सी.ई.एफ/एस.एस.डब्ल्यू/वि.स.सत्र/2019/

प्रतिलिपि:-

1. सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री के सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली -02 को प्रश्न के उत्तर की प्रतिलिपि सहित सूचनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, दिल्ली सरकार, वरुणालय, फेज-II करोल बाग, नई दिल्ली -05 को प्रश्न के उत्तर की प्रतिलिपि सहित सूचनार्थ प्रेषित।
3. निदेशक, सूचना एवं प्रसारण निदेशालय, पुराना सचिवालय, दिल्ली -54 को प्रश्न के उत्तर की 150 प्रतियां सहित प्रेषित।

कार्य सर्वेक्षक

अतारांकित प्रश्न संख्या : 50

दिनांक : 02-12-2019

प्रश्नकर्ता का नाम : श्री मनजिंदर सिंह सिरसा

क्या माननीय सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

क्र.सं.	प्रश्न	उत्तर
क	नजफगढ़ नाले के साथ रधुबीर नगर से ख्याला को जोड़ने वाली सड़क पर अतिक्रमण होने के क्या कारण हैं ;	नजफगढ़ नाले के साथ रधुबीर नगर से ख्याला को जोड़ने वाली सड़क के साथ साथ बसे हुए रिहायशी इलाकों से दिन-प्रतिदिन व्यावसायिक गतिविधियों में बढ़ोतरी होने के कारण इस सड़क पर कभी कभी गाड़ियों को अनधिकृत रूप से पार्क कर दिया जाना ही मूल कारण है । इसके अतिरिक्त कुछ स्थानों पर रैम्पों के निर्माण संबंधित शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं जिसके ऊपर समय समय पर विभाग द्वारा उचित कार्यवाही की जाती है । यावसायिक गतिविधियों की रोकथाम तथा इससे होने वाले अतिक्रमण को रोकने के लिए दक्षिणी नगर निगम तथा स्थानीय पुलिस/ट्रैफिक पुलिस को पत्र दिनांक 28-11-2019 को अनुरोध किया गया है ।
ख	क्या यह भी सत्य है कि इस सड़क से अतिक्रमण हटाए जाने के बाद इस पर पुनः अतिक्रमण हो जाता है ; और	उपरोक्त क के अनुसार । क्योंकि सड़क पर गाड़ियों की पार्किंग अस्थाई रूप से की जाती है । समय समय पर स्थानीय निवासी एवं इस सड़क के साथ साथ स्थापित व्यावसायिक दुकानों पर आने वाले ग्राहकों द्वारा गाड़ियों को पुनः अस्थाई रूप से पार्क कर दिया जाना भी अतिक्रमण का कारण है ।
ग	इस सड़क को कब तक अतिक्रमण मुक्त कर दिया जाएगा ?	दक्षिणी नगर निगम तथा स्थानीय पुलिस/ट्रैफिक पुलिस की सहायता मिलने पर इस सड़क के अतिक्रमण को मुक्त कर दिया जाएगा ।

शिव कुमार

शिव कुमार

नोडल अधिकारी